झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

पत्रांक– खा०प्र० 06 / ज०वि०प्र०दु०अनु०नि० / 03–02 / 2020

प्रेषक,

सतीश चन्द्र चौधरी भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

/ राँची, दिनांक

विषय :– **मनातू प्रखंड में पाये गये अयोग्य राशनकार्डधारी के विरूद्ध की गयी कार्रवाई के संबंध में।**

प्रसंग :– झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची का पत्रांक 391 दिनांक 19.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक 391, दिनांक 19.04.2022 द्वारा वाद संख्या 05 / 2022 के संबंध में दिनांक 17.02.2022 को उक्त मामले में आरोपित व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से उठाव किये गये अनाज का निर्धारित दर से वसूली किये जाने का आदेश दिया गया था। साथ ही, मनातू प्रखण्ड अन्तर्गत अन्य जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास अयोग्य एवं डूप्लिकेट राशनकार्डधारियों का भी जाँच करने हेतु आदेशित किया गया था जिसमें 17 जन वितरण प्रणाली दुकानों के पास कुल 177 अयोग्य राशनकार्ड जिसमें कुल 16 व्यक्ति सम्पन्न, 23 राशनकार्डधारी मृत, 96 राशनकार्ड डुप्लिकेट तथा 07 बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नाम से राशनकार्ड पाया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उपर्युक्त मामले में अबतक आपके द्वारा की गयी कार्रवाई से विभाग को 03 दिनों के अंदर अवगत कराने की कृपा जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ह० / –
(सतीश चन्द्र चौधरी),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 06 / ज०वि०प्र०दु०अनु०नि० / 03–02 / 2020....1145(A) / राँची, दिनांक 22-4-22
प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

F:\Pushpa - 2022-23\Prashant Jee\Letter 2020-21.Docx24